सं.एन-11027/19/2015-एचएफए.1 (एफटीएस-12985)
भारत सरकार
आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
एचएफए-1 प्रभाग

जी-विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 8, 9 फरवरी, 2016

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय हडको भवन, कोर-7ए, भारत पर्यावास केंद्र लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी राष्ट्रीय आवास बैंक, कोर-5ए, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

विषय: प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के दिशा निर्देशों में संशोधन के संदर्भ में

महोदय,

मंत्रालय के पत्र सम सं. एवं दिनांक 10.09.2015 के को आगे बढ़ाते हुए मुझे यह उल्लेख करने का निर्देश है कि प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 5.12 के नीचे उप अनुच्छेद में निम्नलिखित संशोधन किया गया है:

उप अनुच्छेद	संशोधित उप अनुच्छेद
दिनांक 31.12.2015 तक तथापि अथवा राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के मिशन के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने तक जो भी बाद में हो, बैंकों की ओर से राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों, सीएनए से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने के बावजूद भी संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को पाक्षिक आधार पर सीएलएसएस के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों की सूची भेजेंगे। संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश इस मिशन के तीन अन्य कार्यक्षेत्रों के अधीन लाभार्थियों का निर्णय करते समय इस सूची पर विचार करेंगे ताकि किसी भी लाभार्थी को इस मिशन के अधीन दोहरा लाभ न दे दिया जाय।	दिनांक 30.06.2016 तक तथापि अथवा राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के मिशन के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने तक जो भी बाद में हो, प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों की ओर से राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों, सीएनए से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने के बावजूद भी संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को पाक्षिक आधार पर सीएलएसएस के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों की सूची भेजेंगे। संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश इस मिशन के तीन अन्य कार्यक्षेत्रों के अधीन लाभार्थियों का निर्णय करते समय इस सूची पर विचार करेंगे ताकि किसी भी लाभार्थी को इस मिशन के अधीन एक से अधिक बार लाभ न दे दिया जाय।

2. कृपया ये संशोधन प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को संप्रेषित किया जाए।

3. यह संशोधन सक्षम प्राधिकरी के अनुमोदन से जारी हुआ है।

ह/-
(आर.एस. सिंह)
निदेशक (एचएफए-1)
टेलीफैक्स: 011-23062279

प्रतिलिपि;

i. डीएस (एचएफए-2 एवं 3)
ii. डीएस (एचएफए-3 एवं 4)
iii. पीएस, संयुक्त सचिव एवं प्रबंध निदेशक (एचएफए)